देशी गायों के संरक्षण एवं विकास योजना (गौसंवधन)

योजना का उद्देश्य :–

1. दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना ।
2. चयनात्मक प्रजनन द्वारा प्रदेश में मौजूद स्वदेशी गायों की नस्लों के जर्मप्लास को अपग्रेड करना ।
3. शीर्ष गुणवत्ता वाली गायों के जर्मप्लास की पहचान करना तथा उनका उच्च्कोटि वीर्य से वीर्यरोपण करवाना ।
4. पशुपालकों को उच्चकोटि की देशी गायों को पालने हेतु प्रोत्सहित करना ।

आवेदकों के लिए पात्रता मापदंड :– आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए, कोई भी समूह/फर्म/संगठन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख योजना है । इस योजना के तहत प्रति आवेदक की अधिकतम दो देशी नस्ल (हरयाणा, साहीवाल और बिलाही) की गायें ही प्रोत्साहन राशि की पात्र होंगी । इसके साथ जिन गायों ने प्रोत्साहन राशि एक बार प्राप्त कर ली है वह अपने जीवनकाल में दोबारा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी ।

योजना का लाभ :– पशुपालन विभाग की टीम द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं में देशी नस्ल (हरयाणा, साहीवाल और बिलाही) की गायों के दुग्ध मापन का कार्य किया जाता है तथा जिन गायों का दुग्ध उत्पादन (चौथे दुग्ध दोहन) के दौरान प्रोडक्शन वैन्च मार्क को छू जाता है तो ऐसी देशी गायों तथा उनके बछड़े/बछड़ियों को टैगिंग के माध्यम से चिन्हित करके उनका नजदीकी पशु हस्पताल में पूरा रिकार्ड रखा जाता है एवं चिन्हित गायों का बीमा भी करवाया जाता है । दुग्ध मापन कार्य के दौरान चिन्हित की गई देशी नस्ल (हरयाण, साहीवाल और बिलाही) की गायों के मालिकों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

हरयाणा गाय के लिए प्रोत्साहन राशि

दुग्ध उत्पादन (किलो ग्राम प्रतिदिन)	प्रोत्साहन राशि (रूपये)
8 से 10	10000/-
> 10 से 12	15000/-
12 से ज्यादा	20000/-

साहीवाल गाय के लिए प्रोत्साहन राशि

दुग्ध उत्पादन (किलो ग्राम प्रतिदिन)	प्रोत्साहन राशि (रूपये)
10 से 12	10000/-
> 12 से 15	15000/-
15 से ज्यादा	20000/-

बिलाही गाय के लिए प्रोत्साहन राशि

दुग्ध उत्पादन (किलो ग्राम प्रतिदिन)	प्रोत्साहन राशि (रूपये)
5 से 8	5000/-
> 8 से 10	10000/-
10 से ज्यादा	15000/-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :– बेरोजगार व्यक्ति जो उक्त वर्णित योजना के तहत लाभ लेना चाहता है वह SARAL http://saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकता है । आवेदक स्वयं या फिर कामन सर्विस सेन्टर, अंत्योदय केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र, ई–दिशा केन्द्र के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकता है । आवेदन के दौरान आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा ।

- मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसैंस / राशन कार्ड की प्रति
- आधार कार्ड की कापी
- बैंक पास बुक की कापी
- पैन कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
- रद्द किए गए बैंक चेक की प्रति

vf/kd tkudkjh gr utnhdh i'kfpfdRlky; l lEid dj %

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा

वेज 9–12 पशुधन भवन, सैक्टर–2, पंचकूला